

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के 1.) अरुण कुमार मांझी पिता- रघुनाथ मांझी 2.) रमेश मराण्डी पिता- बुधन मांझी; ग्राम- दुस्कस्मार , थाना- माण्डू , जिला- रामगढ़ (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- दुस्कस्मार तापिन, थाना सं. 108 ((रेयती भूमि)) खाता सं.- 16 , के अधीन प्लॉट सं.-276, 277, 278, 312; कुल रकबा - 04.00 एकड़ के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (हजारीबाग क्षेत्र), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उपरोक्त दस दिनो के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

AKM
04/02/2025
Ajay Kumar Verma
Asstt. Mgr.(MD)/EMR